न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर

क्रमांक / 5515 / प्र0कले0 / 2005 नरसिंहपुर, दिनांक 9.7.2005

प्रति,

सचिव,
राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विषयः— न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर का मामला कमांक 244 अ / 59 वर्ष97 / 98, म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति हेतु

संदर्भः— इस न्यायालय का पत्र क01617 / 244अ / 59 / 97 / 98 दिनांक 8.2.02 ।

000

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे ।आपसे पुनर्विलोकन की अनुमति अपेक्षित है।कृपया यथाशीघ्र अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः— 1.न्याया0कले0नर0का मूल प्र0क0 244अ / 59वर्ष 97 / 98मौजा—कुड़ी, तह0करेली
2.न्याया0तह0करेली का मूल प्र0क0 89 ब / 121 वर्ष 00 / 01

डिप्टी कलेक्टर
नरसिंहपुर

A. XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 1139-दो/05 जिला - नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-6-14	आवेदक म0प्र0 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित । उनके द्वारा कलेक्टर, नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 5515/प्र0कले0/2005 दिनांक 8-7-05 के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा प्र.क. 244/अ/59 वर्ष 97-98 के पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है । 2- विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरांत पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कलेक्टर, उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करें । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	